**CNR-UPLL010009612026**

**न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), ललितपुर।**

**पीठासीन अधिकारी- (सुनील सिंह),**

(उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP 6456

**जमानत प्रार्थनापत्र सं.- 262/2026**

**1. नत्थू उर्फ नथुवा उर्फ नाथूराम उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र महादेव कबूतरा,**
**2. बलराम उर्फ बल्लू उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र कल्लू तनय संतराम कबूतरा,**
**निवासीगण ग्राम घटवार, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।**

**.....आवेदकगण/अभियुक्तगण**

**बनाम**

**स्टेट ऑफ यूपी**

**.....अभियोजन**

मुकदमा अपराध संख्या 321/2026
अन्तर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद एवं
समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986,
थाना -कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर।

**13.03.2026**

1- यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. नत्थू उर्फ नथुवा उर्फ नाथूराम उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र महादेव कबूतरा, 2. बलराम उर्फ बल्लू उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र कल्लू तनय संतराम कबूतरा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 321/2026 अन्तर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना- कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 262/2026 जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2- अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में आधार अंकित किये गये हैं कि अभियुक्तगण ने कोई भी अपराध नहीं किया है। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को झूठा व रंजिशन फंसाया है, बेगुनाह व बेकसूर है। अभियुक्तगण तथाकथित गैंग का लीडर अथवा सदस्य नहीं है और न ही गैंग लीडर अथवा सदस्य संबंधी कोई कार्य करते हैं। अभियुक्तगण साधारण परिवेश का व्यक्ति है अभियुक्त को मात्र गैंग चार्ट में वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित होने के कारण अभियुक्तगण के रूप में किया है अभियुक्तगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक कृत्य नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अभियुक्त जमानत का पात्र है तथा कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अपराध कारित नही किया है न ही शराब बनाने का कार्य किया न ही प्रीतम रजक के साथ किसी भी प्रकार की घटना कारित की है, अभियुक्तगण अभ्यस्त अपराधी की श्रेणी में नहीं आते है। अभियक्तगण को 01 आरोप पत्र में नामित किया गया है, जबकि अभियुक्तगण द्वारा लगातार कोई भी अपराध कारित नही किया गया न ही किसी प्रकार की अवैध संसाधनो से धन अर्जित किया है ललितपुर पुलिस द्वारा प्रशंसा पाने के लिये अभियुक्तगण को आरोप पत्र में झूठा नामित किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी भी आरोप पत्र में कोई भी साक्ष्य नही है। वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल उत्तर प्रदेश गिरोहबंदी एवं असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत दर्ज की गई है, लेकिन अधिनियम की धारा 2(इ) (प) से (XXV) तक उल्लिखित अपराधों का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि कोई व्यक्ति धारा 3 के तहत तभी



Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.03.31 15:39:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजित किया जा सकता है जब वह "गैंगस्टर की परिभाषा में आता हो, अर्थात वह किसी ऐसे गिरोह का सदस्य हो जो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो, जैसा कि धारा 2(इ) (प) से (XXV) में वर्णित है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जब तक यह नहीं बताया जाएगा कि अभियुक्त किस असामाजिक गतिविधि में शामिल था जिसके आधार पर उसे गैंगस्टर कहा गया, तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके द्वारा किए गए अपराध का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है जो उसके गैंग का हिस्सा होने को प्रमाणित करे मात्र इसी आधार पर अभियुक्त जमानत का पात्र है। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर (निवारण) नियम, 2021 के नियम 10 के अनुसार गैंग चार्ट, चार्जशीट और बरामदगी मेमो की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिए, विशेष रूप से जब अभियुक्त का नाम एफआईआर में नहीं है कि नियम 10 (2) में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, और यदि कोई दस्तावेज यह बताता है कि उसका नाम कैसे प्रकाश में आया और कोई बरामदगी हुई है, तो बरामदगी मेमो की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में न तो चार्जशीट की प्रमाणित प्रति, न ही बरामदगी मेमो, और न ही वह दस्तावेज जो यह स्पष्ट करे कि अभियुक्तगण का नाम किस प्रकार सामने आया, संलग्न किया गया है। इसलिए यह नियम 10 का उल्लंघन है। फिर भी नियमो का पालन न कर मात्र सरसरी कार्यवाही कर अभियुक्तगण को नामित किया है इस कारण अभियुक्त जमानत का पात्र है। वर्तमान आपराधिक कार्यवाही द्वेषपूर्ण रूप से एवं जल्दबाजी में इसलिए प्रारंभ की गई है ऐसी स्थिति में अभियुक्त जमानत का पात्र है। गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों में अभी तक जांच पूर्ण नहीं हुई है। यद्यपि कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर कर दिया गया है, लेकिन अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध जांच अभी भी जारी है। अतः वर्तमान विवादित प्राथमिकी (FIR) जल्दबाजी में दर्ज की गई है। गैंग चार्ट को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना विचार किए ही स्वीकृत कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त बैठक में गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों की लंबित जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस प्रकार नियम 5(3) और 5 (3) (ब) का उल्लंघन हुआ है। अतः गैंग चार्ट उन मामलों के अस्पष्ट विवरणों के आधार पर अनुमोदित किया गया है, जिनकी स्थिति की पुष्टि नहीं की गई थी, जो कि नियम 8 (3) नियम 2021 का स्पष्ट उल्लंघन है इस कारण जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे। वर्तमान कार्यवाही 2021 के नियमों एवं माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। अतः वर्तमान विवादित प्राथमिकी रद्द किए जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया सूचना रिपोर्ट (FIR) के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट होता है कि जिसके आधार पर वर्तमान विवादित प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें ऐसा कोई भी कृत्य प्रकट नहीं होता जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्त ने हिंसा, हिंसा का प्रदर्शन, धमकी या डराने-धमकाने जैसे किसी भी कृत्य द्वारा किसी भी प्रकार की सम्पत्ति अर्जित की हो या अवैध लाभ प्राप्त किया हो मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कर देना कि जन सामान्य में भय व्याप्त है सत्य नही है मा० न्यायालय गैंग चार्ट में वर्णित अपराध संख्या के आरोप पत्र व ब्यान स्वतन्त्र साक्ष्यिों से स्पष्ट है कि यह संख्या बहुत अधिक है ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण का जन सामान्य में किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने Vinod Bihari Lal बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 777-778/2025 में दिनांक 23.05. 2025 को यह स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को न केवल प्रकरण की विशिष्टताओं को दर्ज करना चाहिए, बल्कि उस अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्यवाही करने के आधारों को भी स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है। जबकि वर्तमान प्रकरण में पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा गैंग चार्ट को स्वीकृति देते समय ऐसे कोई आधार/टिप्पणी अंकित नहीं किए गए हैं। अनुमोदन एक मात्र औपचारिकतापूर्ण दस्तावेज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें प्रामाणिक रूप से संबंधित सामग्री का उल्लेख होना चाहिए, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाए कि अधिनियम 1986 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किए जाने के उचित आधार मौजूद हैं। केवल सामग्री की पुनरावृत्ति अथवा आरोप-पत्र की भांति तैयार दस्तावेज 'मनोयोगपूर्वक विचार' का प्रतिविंब नहीं

हो सकता। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गैंग चार्ट को अनुमोदित करते समय यह नहीं देखा गया कि क्या वह वर्ष 2021 के नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है या नहीं। परिणामस्वरूप, उक्त एफआईआर का पंजीकरण प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रावधानों का पूर्णतः उल्लंघन है और मात्र इसी आधार पर अभियुक्त जमानत का पात्र है। कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का आर्थिक, भौतिक या सांसारिक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य था। ऐसे किसी भी साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध की गई कार्यवाही को नियम 20 (Rules of 2021) के तहत प्रारंभ नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) नियम, 2021 के नियम 15 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी गैंग के सदस्य का चयन मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। नियम 15 (1) यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को गैंग के सदस्य के रूप में नामित करना मनमाना नहीं होना चाहिए। नियम 15 (2) यह आगे प्रावधान है कि यदि किसी गैंग का कोई सदस्य जिसने कोई आपराधिक कार्य किया हो, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, लेकिन उसका उस गैंग से स्पष्ट और उचित आधार पर संबंध पाया गया है, तो उस व्यक्ति का नाम गैंग चार्ट में शामिल न करने के लिए कारण और साक्ष्य दर्ज किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान मामले में गैंग रजिस्टर के फॉर्म संख्या 2 के अनुसार गैंग चार्ट तैयार नही किया गया है। किसी व्यक्तियों के समूह को केवल तब ही गैंग माना जा सकता है जब वे अकेले या सामूहिक रूप से धारा 2 (c) के खंड (i) से (••v) में वर्णित किसी भी असामाजिक गतिविधि में संलग्न हों, जो किसार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने अथवा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित भौतिक, आर्थिक, या अन्य लाभ प्राप्त करने की मंशा से की जाती हो। अभियुक्तगण गैंग चार्ज में वर्णित मुकदमा अपराध संख्या में अभियुक्त की जमानत मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद से हो चुकी है और मात्र इसी आधार पर अभियुक्त जमानत का पात्र है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रथम दृष्टया होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने योग्य है। अभियुक्तगण जिले का स्थाई निवासी है उसकी चल अचल सम्पत्ति जिले में स्थित है उसके भागने अथवा साक्ष्य से छेडछाड किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही निरस्त हुआ है और न ही लम्बित है। अतः अभियुक्तगण को दौरान मुकदमा/विवेचना जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी हैं।

3-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण गरीब नवयुवक हैं। अतः दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया। विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4-संक्षिप्त में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 05.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक/वादी अनुराग अवस्थी मय हमराह आरक्षी ऋषभ कुमार व आरक्षी विकास कुमार मय वाहन सरकारी गाडी बुलेरो न० UP 94 G 0348 मय चालक हे०का० गुलाब सिंह के रवानाशुदा रफ्ता रपट रो० तारीखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम व चौकिंग संदिग्ध व्यक्तिध्वाहन व जन चौपाल व हिस्ट्रीशीटर की चौकिंग व वाला-वाला अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट जिला मजिस्ट्रेट जनपद ललितपुर से प्राप्त शुदा अभियुक्त गैंगलीडर रणवीर उर्फ रनवीर पुत्र स्व० राम सिंह नि० ग्राम घटवार थाना कोतवाली जनपद ललितपुर मूल पता ग्राम रजौरा थाना पाली जिला ललितपुर उम्र करीब 42 वर्ष व गैंग के सक्रिय सदस्य 1. गोपाल पुत्र स्व० राम सिंह नि० ग्राम घटवार थाना कोतवाली जनपद ललितपुर उम्र करीब 55 वर्ष 2. नत्थू उर्फ नथुवा उर्फ नाथूराम पुत्र महादेव कबूतरा नि० ग्राम घटवार थाना कोतवाली जनपद ललितपुर उम्र करीब 37 वर्ष

3. बलराम उर्फ बल्लू उर्फ कल्लू पुत्र संतराम कबूतरा नि० ग्राम घटवार थाना कोतवाली जनपद ललितपुर उम्र करीब 35 वर्ष का एक सुसंगठित गिरोह है जिसका वह स्वंय गैंगलीडर है जिसके सक्रिय सदस्य 1 गोपाल पुत्र स्व० राम सिंह 2. नत्थू उर्फ नथुवा उर्फ नाथूराम पुत्र महादेव कबूतरा 3 बलराम उर्फ बल्लू उर्फ कल्लू पुत्र संतराम कबूतरा उपरोक्त है, यह गैंग लीडर स्वयं व अपने सदस्यो के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिये कच्ची शराब की भट्टियों लगाकर शराब बनाते है। दिनाँक 11.09.2025 को उपरोक्त अभियुक्त गण द्वारा भट्टियो पर शराब बनाने का प्रीतम रजक उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम घटवार थाना कोतवाली ललितपुर द्वारा विरोध करने पर उन्हें भटिया में फेक दिया, जिससे वह गम्भीर रूप से झुलस गये और उनकी मौके पर मृत्यु हो गयी। यह अभियुक्त गण कच्ची शराब की भट्टियाँ लगाने, झगडा करने एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करने के अभ्यस्तः अपराधी है इनके भय व आंतक की वजह से भोली भाली आम जनता इनके विरूद्ध पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है जिससे जनता में डर का माहौल व्याप्त है इस कारण इनका स्वच्छन्द रहना जनहित में ठीक नहीं है इनके स्वच्छन्द रहने से समाज के सभी वर्ग के लोग व जन समुदाय परिसकट मय है यह गैंग लीडर अपने सदस्य के साथ समाज विरोधी क्रियाकलापो में सलिप्त है अभि० गण उपरोक्त द्वारा कारित किये गये अपराध संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 06 व 19 के परिभाषित अपराध है जो गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2 (ख) (प) से आच्छादित है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.09.2025 को समय करीब 18.53 बजे वादी श्री अरविन्द पुत्र स्व० प्रीतम रजक निवासी ग्राम घटवार थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर मो0-7897909907 द्वारा तहरीरी सूचना दी कि दिनाँक 11.09.2025 को समय करीब सुबह 10 बजे वादी के पिता प्रीतम रजक उम्र करीब 50 वर्ष अपने खेत पर जा रहे थे, वहा पहुंचकर देखा कि विपक्षीगण उपरोक्त भटिया पर शराब बना रहे थे, वादी के पिता ने उन्हे मना किया तो वह लोग गाली-गलौच करते हुए झगड़ा करने लगे, मारपीट पर अमादा हो गये। वादी के पिता ने जब उनका विरोध किया तो चारों व्यक्तियों ने मिलकर वादी के पिता प्रीतम रजक को शराब की भट्टी में फेक दिया, जिससे वह गम्भीर रूप से झुलस गये एव मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध मे दिया जिसकी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-1054/2025 धारा 103 (1)/352/131 BNS बनाम रणवीर कबूतरा, गोपाल कबूतरा, नत्थू, बलराम उर्फ कलू निवासी ग्राम घटवार, जिला ललितपुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री हरिनाथ सिहं द्वारा गृहण कर सम्पादित की दौराने विवेचना दिनाँक 13.09.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या-1106/2025 दिनांक 23.11.2025 को किता कर न्यायालय प्रेषित किया गया। गैंग लीडर रणवीर उर्फ रनवीर पुत्र स्व० राम सिंह नि० ग्राम घटवार थाना कोतवाली जनपद ललितपुर मूल पता ग्राम रजौरा थाना पाली जिला ललितपुर उम्र करीब 42 वर्ष उपरोक्त का गैंग समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त है। इस गैंग की आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त गैंग का आपराधिक कृत्य उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 283 गैंगेस्टर के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। गैंग चार्ट में दर्शाये गये मुकदमे के आधार पर अभियुक्त गण के विरुद्ध की जाने वाली गैगेस्टर अधिनियम की यह प्रथम कार्यवाही है। अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक / भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिये कच्ची शराब की भट्टियों लगाकर शराब बनाते है। दिनाँक 11.09.2025 को उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा भट्टियो पर शराब बनाने का प्रीतम रजक उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम घटवार थाना कोतवाली ललितपुर द्वारा विरोध करने पर उन्हें भटिया में फेक दिया, जिससे वह गम्भीर रूप से झुलस गये और उनकी मौके पर मृत्यु हो गयी। यह अभियुक्तगण कच्ची शराब की भाट्टियाँ लगाने, झगडा करने एव हत्या जैसी जघन्य घटना कारित की गयी है। गैंगलीडर सहित सदस्यों/अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 2/3

समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की कार्यवाही हेतु गैंग चार्ट जिलाधिकारी महोदय ललितपुर से अनुमोदित कराया जाकर अभियोग पंजीकृत कराने की याचना की गयी।

5- प्रकरण में थाने की आख्या आहूत की गयी। थाने द्वारा अपनी आख्या में जमानत का विरोध करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. नत्थू उर्फ नथुवा तथा 2. बलराम उर्फ बल्लू के आपराधिक इतिहास में कुल 03 अन्य मुकदमें 1-मु.अ.सं. 1054/2025 धारा 103(1)/352/131 बी.एन.एस., 2- मु.अ.सं. 111/2022 धारा 60 आबकारी अधि०, 3- मु.अ.सं. 21/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत होने का कथन किया गया है। गैंगचार्ट प्रारूप-1 के अनुसार अभियुक्तगण का आपराधिक विवरण निम्नवत है-

| | |
|---|---|
| **1. नत्थू उर्फ नथुवा पुत्र महादेव कबूतरा,**<br>**2. बलराम उर्फ बल्लू उर्फ कल्लू** | **मु०अं०सं० 1054/2025 धारा 103(1)/352/131 बीएनएस, थाना कोतवाली ललितपुर।** |

6- वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट प्रारूप में कुल 01 मुकदमा मु०अ०सं० 1054/2025 धारा 103(1)/352/131 बीएनएस अंकित हैं तथा थाने की आख्यानुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. नत्थू उर्फ नथुवा तथा 2. बलराम उर्फ बल्लू के आपराधिक इतिहास में कुल 03 अन्य मुकदमें 1-मु.अ.सं. 1054/2025 धारा 103(1)/352/131 बी.एन.एस., 2- मु.अ.सं. 111/2022 धारा 60 आबकारी अधि०, 3- मु.अ.सं. 21/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत होना अभिकथित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनाँक 11.09.2025 को उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा भट्टियों पर शराब बनाने का प्रीतम रजक द्वारा विरोध करने पर उन्हें भटिया में फेंक दिया, जिससे वह गम्भीर रूप से झुलस गये और उनकी मौके पर मृत्यु हो गयी। यह अभियुक्तगण कच्ची शराब की भाट्टियाँ लगाने, डागडा करने एव हत्या जैसी जघन्य घटना कारित की गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रारूप गैंगचार्ट में गैंग के सदस्य होना अंकित है, जिनके द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर भौतिक, आर्थिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अवैध रूप से भट्टियों पर शराब बनाने, विरोध पर झगड़ा, हत्या कारित करने जैसे अपराध कारित किया जाना अभिकथित है। अभियुक्तगण का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। मामले के तथ्य परिस्थितियों आक्षेपित अपराध की गम्भीरता तथा उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव आदि कारकों पर विचार करने के उपरान्त मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त नहीं है। तदानुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. नत्थू उर्फ नथुवा उर्फ नाथूराम उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र महादेव कबूतरा, 2. बलराम उर्फ बल्लू उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र कल्लू तनय संतराम कबूतरा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 321/2026 अन्तर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना- कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 262/2026 नत्थू आदि बनाम स्टेट **निरस्त** किया जाता है।

**(सुनील सिंह)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),
ललितपुर।

दिनांक: **13.03.2026**